प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 995 सन 2021
अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रताप पुत्र स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बिमला पत्नी स्व जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुभाष पुत्र स्व जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सन्तोष पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. विनोद पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सरोज पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. चावली पुत्री स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. विमला पुत्री स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 14/12 की कुल 2.0360हैक एवं खाता संख्या 222/216 की कुल 39.0400हैक में से 55141/195200 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र भूराराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है आदराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है आदराम पुत्र भूराराम के एक पुत्र जगदीश का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार आदराम पुत्र भूराराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो आदराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 वादी की बुआ/बहने है एवं आदराम पुत्र भूराराम /जगदीश की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की आदराम पुत्र भूराराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव कें संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो आदराम पुत्र भूराराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 14/12 की कुल 2.0360हैक्‍ एवं खाता संख्या 222/216 की कुल 39.0400हैक्‍ में से 55141/195200 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र भूराराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण का पिता है आदराम पुत्र भूराराम का देहान्त हो चुका है आदराम पुत्र भूराराम के एक पुत्र जगदीश का भी देहान्त हो चुका है इसप्रकार आदराम पुत्र भूराराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है जो आदराम पुत्र भूराराम के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 14/12 की कुल 2.0360हैक्‍ एवं खाता संख्या 222/216 की कुल 39.0400हैक्‍ में से 55141/195200 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र भूराराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... जबरासर.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
पर्चा डिक्री
(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)
न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामेश्वर पुत्र स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रताप पुत्र स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बिमला पत्नी स्व जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. सुभाष पुत्र स्व जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सन्तोष पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. विनोद पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. सरोज पुत्री जगदीश जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. चावली पुत्री स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. विमला पुत्री स्व आदराम जाति जाट साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 995 सन 2021 निर्णय दिनांक– 29.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 14 / 12 की कुल 2.0360हैक एवं खाता संख्या 222 / 216 की कुल 39.0400हैक में से 55141 / 195200 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आदराम पुत्र भूराराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....जबरासर